लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4005
25 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

समृद्ध वस्त्र विरासत

4005. श्री पुष्पेंद्र सरोज:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा, इस तथ्य के आलोक में कि भारत में समृद्ध वस्त्र विरासत है परंतु अब यह वैश्विक वस्त्र बाजारों में बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही है, विशेषकर उत्तर प्रदेश जैसे पारंपरिक केन्द्रों में भारतीय वस्त्र उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) कौशाम्बी जैसे छोटे ग्रामीण जिलों में छोटे बुनकरों और कारीगरों की सहायता करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके पास अपनी आजिविका में सुधार लाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी ऋण सुविधाएं और प्रत्यक्ष बाजार संपर्क उपलब्ध हों?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क): भारत सरकार पूरे भारत में वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं/पहलों को क्रियान्वित कर रही है। प्रमुख योजनाओं/पहलों में निवेश आकर्षित करने और रोजगार को बढ़ावा देने में मदद; करने के लिए एक आधुनिक, एकीकृत, बड़े पैमाने का विश्वस्तरीय इको सिस्टम बनाने पर केंद्रित पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और अपैरल (पीएम मित्र) पार्क योजना, बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए मानव निर्मित फाइबर और अपैरल और तकनीकी वस्त्रों पर केंद्रित उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना; अनुसंधान नवाचार और विकास, संवर्धन और बाजार विकास, कौशल प्रशिक्षण और निर्यात संवर्धन पर केंद्रित राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन; मांग आधारित, प्लेसमेंट उन्मुख, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के उद्देश्य से वस्त्र क्षेत्र के लिए क्षमता निर्माण योजना - समर्थ; बेंचमार्क टेक्सटाइल मशीनरी में पात्र निवेश के लिए पूंजीगत निवेश सब्सिडी के माध्यम से प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए एटीयूएफएस; रेशम उत्पादन मूल्य श्रृंखला के व्यापक विकास के लिए सिल्क समग्र-2 शामिल हैं।

(ख): विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम तथा व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। इन योजनाओं के तहत, विपणन सहायता, डिजाइन कार्यक्रम के माध्यम से कौशल विकास, प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्लस्टर विकास, कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ, अवसंरचना और प्रौद्योगिकी सहायता तथा अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के माध्यम से सहायता द्वारा कारीगरों को बढ़ावा दिया जाता है।

इसके अलावा, विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम तथा कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। इन योजनाओं के तहत, पात्र हथकरघा एजेंसियों/बुनकरों को कच्ची सामग्री, उन्नत करघे और एसेसरीज की खरीद, सोलर लाइटिंग यूनिट्स, वर्कशेड के निर्माण, कौशल प्रशिक्षण, उत्पाद और डिजाइन विकास, तकनीकी और सामान्य अवसंरचना, घरेलू/विदेशी बाजारों में हथकरघा उत्पादों के विपणन, बुनकर मुद्रा योजना के तहत रियायती ऋण, छात्रवृत्ति और सामाजिक सुरक्षा आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

****